न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्री नरेन्द्र कुमार मीणा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—97/2018 राजस्व वाद व 226/2018 प्रार्थना पत्र
1—श्रीमति दुर्गा पत्नि नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वगैराह
———वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1—श्री उदा पिता नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा वगैराह
———प्रतिवादीगण/विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—92क—188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः—

1—श्री सूरज सनाढ्य, — एडवोकेट—प्रार्थीगण—प्रतिवादीगण
2—श्री पवन कुमार शर्मा — एडवोकेट—विपक्षीगण—वादीगण

:: नि र्ण य :: दिनांकः—7-2-.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी—विपक्षीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद पत्र घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा अपने जन्मजात अधिकारों के संबंध में घोषणात्मक अनुतोष इस प्रकार चाहा गया है कि वादीगण—प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से नंदा पिता लेहरू जाट निवासी सुरास की जायन्दा पुत्रिया है इस कारण उनका हक व हिस्सा निहित होने से उनको खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष प्रदान किया जावें। वादीगण द्वासरा बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रस्तुत कर दिया है क्योंकि वादीगण अपने हक व अधिकार हिन्दू विधि के तहत हिन्दू विधिनुसार उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर चाह रही हैं। जबकि हिन्दू विधिनुसार पुत्रियों को संशोधित अधिनियम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पूर्व नहीं था। और संशोधन का प्रभाव भी कानून की मंशा से भूतलक्षी नहीं था। यह संशोधित अधिनियम दिनांक 9.9.2005 को प्रभाव में आया, उपरोक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात ही पुत्रियों को पुत्र की मानिद सहदायिक मानकर अधिकार प्रदान किये गये है साथ ही उपरोक्त अधिनियम के उपरोक्त संशोधन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि दिनांक 20.12.2014 से पूर्व न्यायालय डिक्री से विभाजन अन्तरण हो जाये तो भी पुत्रियों को दावा करने का कोई अधिकार नहीं हैं यहॉ पर वादीगण के पिता नंदा पिता लेहरू की मृत्यु दिनांक 9.9.2005 से पूर्व ही हो गयी थी, तो पुत्रियों को वाद लाने का कोई अधिकार (लोकस स्टेण्डाई) ही नहीं हैं, इसके अलावा उपरोक्त मामले में दिनांक 20.12.2004 से पूर्व ही नंदा की मृत्यु के पश्चात संबंधित खातेदारों ने अपने हक व अधिकार की आराजियात को विक्रय कर दिया था। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

से मूल रूप से मूल रूप से आदेश 7 नियम 11 के सिद्धान्त स्पष्ट कर दिया है इस कारण स्पष्ट रूप से विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत वाद पत्र इसी स्तर पर अनेक न्यायिक दृष्टानों के प्रकाश में खारीज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण'—वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11व धारा 151 जा0दी0 के तहत सव्यय खारीज फरमाया जावें।

जबकि वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 जिस प्रकार लिखी है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी ने इस कलम में सर्वथा गलत लिखा है कि संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से पूर्व पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार नहीं था। पुत्रियों को अपने पिता एवं पत्नि को अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने की दिनांक से ही प्राप्त हो गये । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिन्दू पुरूष की दशा में उसकी सम्पत्ति के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान लागू होते है जिसके अनुसार उसकी सम्पत्ति अनुसूची 1 में वर्णित वारिसों को न्यायगंत होगी, तथा उक्त वारिसों को उसकी सम्पत्ति किस प्रकार न्यायागत होगी, उसका प्रावधान अधिनियम की धारा 9 व 10 में किया गया हैं। उक्त अधिनियम के अनुसार हिन्दू पुरूष के निधन के पश्चात उसकी सम्पत्ति में अनुसूची 1 में वर्णित समस्त वारिसों में बराबर—बराबर न्यायगत होती हैं। लेकिन इस मामले में श्री नंदा जी के निधन के समय वादिया संख्या 3 की उम्र करीब 3 माह थी। एवं वादी संख्या 2 की उम्र महज 2 साल की थी। तथा वादी संख्या 1 विधवा महिला थी। जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर श्री नंदा जी के खाते की उक्त आराजियात का नामान्तरकरण 1/2—1/2 हिस्से से अकेले अपने नाम पर खुलवा दिया जो सरासर लगत हैं। नंदाजी के निधन के पश्चात उसके खाते में दर्ज आराजियात में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ—साथ बराबर हिस्सा था और हैं। प्रकरण में वादीगण द्वारा मूल खातेदार की पत्नि व पुत्रिया होने के आधार पर विवादित आराजियात में अपना स्वत्व व अधिकार होने के कारण घोषणा का दावा प्रस्तुत किया हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में तथ्यों एवं विधि का मिश्रित बिन्दु निहित है जिसका निर्धारण उभय पक्ष की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के पश्चात ही किया जा सकेगा। घोषणा के वाद को प्रारम्भिक स्तर पर आदेश 7 नियम 11 के तहत खारीज नहीं किया जा सकता हैं। पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को एवं पति की सम्पत्ति में पत्नि को सन् 1056 से ही अधिकार प्राप्त है जिन्हें 2005 के संशोधन से मजबूती प्रदान की गयी हैं। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. खारीज फरमाया जावें।

उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील विपक्षीगण—प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार करते हुये वादीगण के वाद पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

जबकि वकील वादीगण–प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0.दी0 को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। वकील वादीगण–प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में नजीरे प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है:– (1) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8, 9 व 10, (2) आर.आर.टी.. 2016–17 (सुप्रीम) पेज 575–577, (3) आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 976–986 प्रस्तुत की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर नंदा पिता लहरू जाट साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जरिये इंतकाल नम्बर 188 दिनांक 30.9.1982 के द्वारा विरासत से नंदा के बजाय उदा, देबी, पारस पिता नंदा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2036 से 2039 से होती हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार विवादित आराजियात पुश्तैनी हैं। जिसकी ताईद वादपत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित सजरे से होती हैं। क्योंकि वादीगण ने वादपत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित सजरे के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन होना चाहिये। किन्तु राजस्व रेकार्ड में विरासत का खाता केवल मात्र नंदा के लड़के उदा, देबी व पारस के नाम पर दर्ज किया। जबकि उनकी बेवा व दो पुत्रियों के नाम पर भी विरासत का खाता दर्ज होना चाहिये । किन्तु पारस जो नंदा की पुत्री है उसका वाद पत्र प्रस्तुत करने से पहले ही देहान्त हो गया । इस कारण विवादित आराजियात में उदा, देबी के साथ–साथ वादीगण का नाम भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिये। क्योंकि विरासत का खाता दिनांक 30.91982 को खोला गया। जिसमें विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ–साथ वादीगण का भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दर्ज होना चाहिये । जबकि वकील वादीगण–प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से पूर्व पुत्रियों का पिता की सम्पत्ति में अधिकार नहीं था। जबकि पुत्रियों को अपने पिता एवं पत्नि को अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने की दिनांक से ही प्राप्त हो गये । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिन्दु पुरूष की दशा में उसकी सम्पत्ति के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान लागू होते हैं। जिसके अनुसार उसकी सम्पत्ति अनुसूची 1 में वर्णित वारिसो को न्यायागत होगी तथा उक्त वारिसों को उसकी सम्पत्ति किस प्रकार न्यायागत होगी उसका प्रावधान अधिनियम की धारा 9 व 10 में किया गया हैं। उक्त अधिनियम के अनुसार हिन्दू पुरूष के निधन के पश्चात उसकी सम्पत्ति में अनुसूची 1 में वर्णित समस्त वारिसों में बराबर–बराबर न्यायागत होती हैं। लेकिन इस मामले में श्री नंदा जी के निधन के समय वादिया संख्या 3 की उम्र करीब 3 माह थी, वादी संख्या 2 की उम्र महज 2 साल थी। तथा वादी संख्या 1 विधवा महिला थी जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर श्री नंदा जी के खाते की उक्त आराजियात का नामान्तरकरण 1/2–1/2 हिस्से से अकेले अपने नाम पर खुलवा दिया। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकलों से होती हैं। नंदा जी के निधन के पश्चात उसके खाते में दर्ज आराजियात में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ बराबर–बराबर हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

था और हैं। प्रस्तुत नजीरे इस पर लागू नहीं होती हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र खारीज किया जाना आवश्यक हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण–प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ,अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण–प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 88–89–93क–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारीज किया जाता हैं।

(नरेन्द्र कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 7-2-2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा